न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –71 / 2021 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2021 / 219

1. आनन्दीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति किराड निवासी ग्राम रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 (एन.एच.–148 एन)
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जरिये महाप्रबन्धक (ताक0) एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना, कार्यनवयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा राज0

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा–3 जी–5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं संशोधन अधिनियम 1997 सपठित मध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1996 बनाराजगी अवार्ड आदेश दिनांक 24.5.2021 एवं 25.6.2021

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार मंत्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. सुश्री महेन्द्रा कुमारी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक :– 30-11-2021

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं मध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.–148की चौडीकरण एवं निमार्ण के अन्तर्गत अन्य भूमियों के साथ ग्राम रीछड़िया तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 272, 273, 274,275 की रकबा 0.43280 हे0 भूमि का मुआवजा राशि अपने अधिनिर्णय दिनांक 27.9.2019 निर्धारित किया जाने पर प्रार्थी द्वारा मुआवजा अण्डर प्रोटेस्ट प्राप्त कर लिया है तथा उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी के 398 नारंगी के पौधे लगे हुए होने तथा पूरक अवार्ड दिनांक 24.5.2021 से उनका भुगतान नहीं किया जाने से उक्त निर्णयों की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.9.2021 को पेश किया गया है ।

जिला कलक्टर
कोटा

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से एडवोकेट सुश्री महेन्द्रा वर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रार्थी की ओर से एडवोकट श्री मनोज कुमार मन्त्री उपस्थित । राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 27.9.2019 को अधिनिर्णय आदेश पारित कर ग्राम रीछडिया स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 272, 273, 274,275 की 0.43280 हे0 भूमि अवाप्त कर ली गई थी जिसका मुआवजा प्रार्थी द्वारा अण्डर प्रोटेस्ट प्राप्त कर लिया है तथा उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी के 398 नारंगी के पौधे आज भी लगे हुए है । सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 27.9.2019 को अधिनिर्णय आदेश के पेज नं0 8 पर "अर्जित भूमि पर स्थित भवन, वृक्षों व फसल आदि की धनराशि" (अर्जित भूमि पर स्थित भवन, वृक्षों व फसल आदि की मूल्यांकन धनराशि इस अधिनिर्णय में सम्मिलित नहीं की गई है ।) तथा इसी अधिनिर्णय के पेज नं0 10 पर बिन्दु संख्या 12 में "यह अवार्ड केवल भूमि के मुआवजे से सम्बन्धित है भूमि में स्थित भवन, अन्य निर्माणों एवं पेडों के लिए पृथक से गणना की जावेगी" इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने अधिनिर्णय आदेश दिनांक 27.9.2019 द्वारा यह वर्णित किया गया कि उक्त भूमि पर लगे हुए नारंगी के 398 पौधों का मुआवजा प्रार्थी को पृथक से मिलेगा । सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 24.5.2021 को पूरक अधिनिर्णय अवार्ड (फलदार वृक्ष) पारित कर दिया गया किन्तु उक्त अवार्ड में प्रार्थी का ना तो नाम है और ना ही प्रार्थी के 398 पौधों व राशि का वर्णन है जबकि अन्य काश्तकारों का नाम, पौधों की संख्या व राशि का वर्णन है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत प्रार्थी के पक्ष में अवार्ड पारित न कर प्रार्थी के वैधानिक अधिकारों का हनन किया है । इससे प्रार्थी को काफी नुकसान हुआ है । खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि में रबी सम्वत 2075 में नारंगी के शिशु पौधों का वर्णन है । खसरा गिरदावरी रबी सम्वत 2075 के अनुसार रबी फसलों की अवधि अक्टूबर से मार्च माह तक होती है इस प्रकार सम्वत 2075 में अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 तक रहा है । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में ही नारंगी के पौधों की देखभाल की है । नकल खसरा गिरदावरी एवं फौटोग्राफ संलग्न है । केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 2.5.2018 /5.6.2018 को भूमि अवाप्ति हेतु उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया । केन्द्र सरकार की अधिसूचना 3ए, 3डी के प्रकाशन के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 27.9.2019 को पारित अधिनिर्णय में बिना कोई कारण ना तो प्रार्थी का नाम है ना ही प्रार्थी के 398 नारंगी के पौधों का वर्णन है और ना ही राशि का वर्णन है । इस प्रकार उक्त अधिनिर्णय से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त अधिनिर्णय पक्षपात पूर्ण तरीके से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने

2
जिला कलक्टर
कोटा

चहेते काश्तकारों को फलदार पौधों का मुआवजा दिये जाने का निर्धारण कर दिया तथा प्रार्थी का नाम उक्त पूरक अवार्ड दिनांक 24.5.2021 में शामिल नहीं करने बाबत कोई कारण अभिलेख पर लाये बिना दुर्भावनापूर्वक शामिल नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.6.2021 में प्रार्थी को अतिकमी माना जा सकता है वर्णन किया है । सक्षम प्राधिकारी की विश्वसनीयता यही पर प्रश्नगत हो जाती है कि अधिनिर्णय दिनांक दिनांक 27.9.2019 व पूरक अधिनिर्णय दिनांक 24.5.2021 के बाद बिना कोई अधिकारी के तहत दिनांक 25.6.2021 के द्वारा प्रार्थी को अतिकमी माना जबकि उक्त अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित अवार्ड 27.9.2019 के द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि प्रार्थी को फलदार वृक्षों के सम्बन्ध में अवार्ड की राशि पृथक से अवार्ड घोषित कर दे दी जावेंगी । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पूरक अवार्ड आदेश दिनांक 24.5.2021 एवं दिनांक 25.6.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थी को आदेशित किया जावें कि प्रार्थी के ग्राम रीछडिया खसरा नम्बर 272, 273, 274,275 में लगे हुए 398 नारंगी के पौधे के मुआवजे की राशि की गणना कर प्रार्थी को दिये जाने के सम्बन्ध में संशोधित अधिनिर्णय आदेश पारित फरमाने की कृपा करें ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 1 ने अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन (भरतमाला) हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की ख0नं0 272, 273, 274, 275 की रकबा 0.43280 हे0 अवाप्ति हेतु 3A की अधिसूचनासंख्या 433(अ) दिनांक 24.01.2019 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 25.01.2019 को प्रकाशित की गयी । जिसका प्रकाशन राजस्थान के दौ प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में दिनांक 8.2.2019 को किया । उक्त अवाप्त भूमि के साथ साथ धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.2678(अ) दिनांक 26.07.2019 को जारी की जो भारत के राजपत्र में दिनांक 26.07.2019 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दौ दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 10.08.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की भूमि खसरा नम्बर 272, 273, 274,275 की 0.43280 हे0 निजी आनन्दीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति किराड का हिस्सा पूर्ण वाके ग्राम रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –29 की उपधारा–2 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षैत्र में अर्जित भूमि पर स्थित

जिला कलक्टर
कोटा

फलदार वृक्षों का मूल्यांकन उप निदेशक उद्यान विभाग से कराकर रिपोर्ट पत्रांक/66–67 दिनांक 15.4.2021 द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी गयी एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 के अनुसार अवाप्त निजी भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण आंगणित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है , जिसके अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि का निर्धारण पूरक अधिनिर्णय अवार्ड क्रमांक/355–357 दिनांक 24.5.2021 को किया गया है । फीडबैंक इन्फ्रा प्रा.लि. के पत्र क्रमांक/783 दिनांक 13.11.2020 के अनुसार तहसील रामगंजमण्डी में अलाईमेंट फाइनल करने हेतु वर्ष 2018 में सर्वे किया गया, तत्पश्चात 3ए गजट नोटिफिकेशन दिनांक 6.9.2018 एवं दिनांक 24.01.2019 को प्रकाशन किया गया था । इस संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि सर्वे के दौरान ग्राम रीछडिया के खसरा नम्बर 272, 273, 274,275 में कोई भी फलदार वृक्षों का बगीचा नहीं था, प्रार्थी द्वारा जान बूझकर गलत इरादे से मुआवजा लेने के लिए फलदार वृक्ष लगा दिये गये है । इस संबंध में माह फरवरी 2019 की गूगल इमेज के फोटोग्राफ से भी साफ प्रतीत होता है कि वर्तमान में उक्त खसरे में लगाया गया बगीचा प्रार्थी द्वारा जानबूझकर गलत इरादों से मुआवजा लेने हेतु लगाया गया है यदि प्रार्थी द्वारा लगाया गया बगीचे का मुआवजा दिया जाता है तो भारत सरकार को करोडों का नुकसान / हानि होगी एवं उक्त खसरों को छोडकर शेष बचे अवाप्त खसरों के हितबद्व व्यक्तियों द्वारा भी रोष /शिकायत की जा सकती है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर खातेदार /हितबद्व व्यक्तियों को सुना जाकर रिकॉर्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि का निर्धारण पूरक अधिनिर्णय अवार्ड क्रमांक/355–357 दिनांक 24.5.2021 को किया गया है । प्रार्थी कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम रीछडिया के खसरा नम्बर 272, 273, 274,275 की 0.43280 हे0 भूमि उक्त 8 लेन परियोजना (भारतमाला) में अवाप्ति हेतु एवार्ड दिनांक 27.09. 2021 एवं संशोधित पूरक अवार्ड दिनांक 24.5.2021 के विरूद्व प्रस्तुत किया है । वकील प्रार्थी का मुख्य कथन है खसरा गिरदावरी सम्वत 2075 रबी अनुसार प्रार्थी की उक्त भूमि में में नारंगी के शिशु पौधों का वर्णन है । खसरा

गिरदावरी रबी सम्वत 2075 के अनुसार रबी फसलों की अवधि अक्टूबर से मार्च माह तक होती है इस प्रकार सम्वत 2075 में अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 तक रहा है तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 2.5.2018 /5.6.2018 को भूमि अवाप्ति हेतु उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि में लगे इन वृक्षों का मुआवजा नहीं दिया जाना प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्तों के विपरीत है, । इसके विपरीत अप्रार्थी नं0 2 ने अपने जवाब एवं बहस में इसका खण्डन करते हुए कथन किया है कि तहसील रामगंजमण्डी में अलाईमेंट फाइनल करने हेतु वर्ष 2018 में सर्वे किया गया, तत्पश्चात 3ए गजट नोटिफिकेशन दिनांक 6.9.2018 एवं दिनांक 24.01.2019 को प्रकाशन किया गया था । सर्वे के दौरान ग्राम रीछडिया के खसरा नम्बर 272, 273, 274,275 में कोई भी फलदार वृक्षो का बगीचा नहीं था, प्रार्थी द्वारा जान बूझकर गलत इरादे से मुआवजा लेने के लिए फलदार वृक्ष लगा दिये गये है । इस संबंध में माह फरवरी 2019 की गूगल इमेज के फोटोग्राफ से भी साफ प्रतीत होता है । किन्तु अप्रार्थी नं0 2 की ओर से फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किये है । वकील प्रार्थी द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2076 की प्रस्तुत की है जिस अनुसार ग्राम रीछडिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 272, 273, 274,275 रकबा 0.43280 हे0 में नारंगी के शिशु पौधे अंकित है । राजकीय अभिभाषक द्वारा कार्यालय हाजा का आदेश क्रमांक/प.( )राजस्व/2021/2448 दिनांक 22.9.2021 प्रस्तुत किया जिस अनुसार प्रार्थी की भूमि में स्थित इन पौधों का सर्वे एवं मूल्यांकन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें उपनिदेशक उद्यान विभाग कोटा, तहसीलदार रामगंजमण्डी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेन्ज मोडक तह0 रामगंजमण्डी सदस्य है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में स्थित पोधो का सर्वे एवं मूल्यांकन हेतु कमेटी का गठन किया जाकर कार्यवाही विचाराधीन होने से पृथक से कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है ।

5. **परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि ख0नं0 272, 273, 274,275 की 0.43280 हे0 में स्थित फलदार नारंगी के पौधों का सर्वे एवं मूल्यांकन हेतु कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक/प.( )राजस्व/2021/2448 दिनांक 22.9.2021 के अनुसरण में कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जावें ।**

6. निर्णय आज दिनांक 30-11-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा